ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट संख्या–01, के0पी0–04 ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला–गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)

पत्रसं0: ग्रे0नौ0 / बो0बै0 / 138वीं / 2025 / 386
दिनांक– 18 .04.2025

समस्त विभागाध्यक्ष (   )

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण बोर्ड की 138वीं बैठक दिनांक–29.03.2025 को सम्पन्न हुई, जिसका कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित एजेण्डा मद के निर्णयानुसार 03 दिन में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें। व्यक्तिगत प्रकरणों के एजेण्डा के निर्णय से आवंटी को सूचित / अनुपालन करने के साथ ही जन सामान्य से संबंधित जो भी एजेन्डा बोर्ड से अनुमोदित हुआ है, उससे संबंधित जारी कार्यालय आदेश प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(सौम्य श्रीवास्तव)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ ऑफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पी0 / एस0के0 / एस0एल0) के अवलोकनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

138वीं बोर्ड बैठक

कार्यवृत्त

दिनांकः– 29.03.2025
समयः– 12:00 अपरान्ह

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्लाट न0–1, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा
जिला–गौतमबुद्ध नगर।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण बोर्ड की 138वीं बैठक दिनांक–29.03.2025 का कार्यवृत्त

बोर्ड बै0/ मद संख्या	विषय/निर्णय
138/01	**पुरानी रूकी हुई भू–सम्पदा परियोजनाओं (लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स) की समस्याओं के निदान के लिये शासनादेश संख्या–7774/77–4–2023– 6011/2023, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 में लिये गये निर्णय के कम में नीति/पैकेज को कियान्वयन के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रगति आख्या का अवलोकन करते हुए प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त संचालक मण्डल द्वारा यह भी अनुमोदन प्रदान किया गया कि एन0सी0एल0टी0 के प्रकरणों में एक विधि विशेषज्ञ, जो इस क्षेत्र में निपुण हो, तथा चार्टिड एकाउण्टेन्ट से (केस–टू–केस बेसिस पर) इस आशय का परीक्षण करा लिया जाये कि क्या सेटिलमेंट कराकर होम बायर्स को उनके भवनों का कब्जा प्रदान किया जा सकता है। तदानुसार परीक्षण कराकर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
138/02	**प्राधिकरणों में कार्य करने के लिए यूनीफाईड पॉलिसी (भूखण्डों के आवंटन निरस्तीकरण/पट्टा विलेख का निष्पादन/कब्जा) आदि से सम्बन्धित नीति में आवश्यक संशोधनों पर विचार–विमर्श।**
निर्णय	प्राधिकरण की 137वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय में आवश्यक संशोधन को शामिल कर लिया गया है। संलग्न– Unified Regulations-2025 (As amended)
138/03	**बिल्डर के अधूरे ग्रुप हाउसिंग, प्रोजेक्ट्स इण्डस्ट्रियल, इन्टीट्यूशनल, कामर्शियल प्लाटों की संख्या एवं एरिया पर विचार–विमर्श।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्देश दिये कि औद्योगिक, कामर्शियल, संस्थागत के रिक्त भूखण्डों (आवंटन/लीज डीड के पश्चात इकाई द्वारा निर्माण/क्रियाशील) न किये जाने के कारण, ऐसे भूखण्डों को चिन्हित कर उनका भौतिक सत्यापन कराते हुए अनिर्मित भूखण्डों को नियमानुसार नोटिस देने के निर्देश दिये।
138/04	**कृषकों की भूमि अधिग्रहण के लिए कृषकों को दी जाने वाली प्रतिकर का दर नियत करने का प्रस्ताव।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त विस्तृत प्रस्ताव को अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
138/05	**ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत सेक्टर–20 में स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्टस कॉम्पलैक्स को सेन्टर फॉर एक्सीलेन्स बनाये जाने हेतु आर0एफ0पी0 डाक्यूमेंट को मा0 बोर्ड के समक्ष रखे जाने विषयक।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। आर.एफ.पी. प्रस्तुत संशोधन व सुझाव के क्रम में कन्सल्टेन्ट द्वारा अन्तिम कर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। संलग्नक– Advertisement एवं RFP/ Bid document.
138/06	**वर्ष 2023–2024 के वार्षिक लेखा एवं दिनांक–31.03.2024 का तुलन–पत्र।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
138/07	**वित्तीय वर्ष 2024–25 के माह फरवरी, 2025 तक वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रस्तावित आय–व्ययक।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

NG Ravikumar
16/04/2025

138/08	**बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को धनराशि रू0 10.00 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने विषयक।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति अनुमोदित की गयी।
138/09	**नौएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर हेतु अंशधारिता के सापेक्ष उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सम्बन्ध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति अनुमोदित की गयी।
138/10	**बिल्डर्स विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के सापेक्ष कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर कार्योत्तर स्वीकृति अनुमोदित की गयी।
138/11	**ग्रेटर नौएडा क्षेत्र की 130 मीटर चौड़ी सड़क से सेक्टर–04 के सन्निकट एनएच–24 तक एलिवेटेड रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि उपरोक्त निर्माण पर होने वाले व्यय को सभी प्राधिकरण (यमुना एक्सप्रेसवे, नौएडा, ग्रेटर नौएडा एवं गाजियाबाद) समान रूप से वहन करेगें व यह सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को डिपोजिट वर्क पर निर्मित करने हेतु पत्र प्रेषित कर दिया जाये।
138/12	**दादरी आई0सी0डी0 के समीप गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने हेतु ग्रेटर नौएडा महायोजना–2041 में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
138/13	**ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के कार्यालय भवन में स्थित टॉवर–2 में विभिन्न सरकारी/अर्द्धसरकारी तथा एक अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को किराये पर कार्यालय स्पेस आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
138/14	**ग्रेटर नौएडा क्षेत्रान्तर्गत स्थित फायर स्टेशनों हेतु वाहन/मशीन/उपकरण क्रय किये जाने विषयक।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
138/15	**प्राधिकरण बोर्ड की 136वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
138/16	**प्राधिकरण बोर्ड की 136वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
निर्णय	संचालक मण्डल अनुपालन आख्या से अवगत हुए।
138/17	**प्राधिकरण बोर्ड की 137वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
138/18	**प्राधिकरण बोर्ड की 137वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
निर्णय	संचालक मण्डल अनुपालन आख्या से अवगत हुए।
138/19	**वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु विभिन्न परिसम्पत्तियों की भू–आवंटन दर निर्धारण विषयक।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

N G Ravikumar.

138/20	**मै0 आम्रपाली समूह की 05 परियोजनाओं में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भूखण्डों को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 की धनराशि के सापेक्ष समायोजन कर समायोजित करने के सम्बन्ध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त निर्देशित किया कि प्रस्ताव का विधिक परीक्षण विधि विभाग से करा लिया जाये।
138/21	**ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 04 परियोजनाओं से अवरूद्ध हो रहे विकास कार्य।**
निर्णय	प्राधिकरण के गठन के पूर्व से प्राधिकरण क्षेत्र में अवस्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज् परियोजनाओं में वर्ष 1996 में समाधान योजना लागू की गयी थी। उसी तर्ज पर इन चार प्रोजेक्ट्स यथा मै0 टेक्नोलोजी पार्क लि0, मै0 टी–सीरीज, मै0 लोकप्रिय विहार एवं मै0 तोषा पिक्चर ट्यूब, जिसमें ओनर द्वारा भूमि वर्ष 1991 (प्राधिकरण गठन के पूर्व क्रय की गयी है) के विषय में समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया गया। संचालक मण्डल द्वारा उक्त परियोजनाओं पर निम्न शर्तो के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया:– 1. ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के गठन से पूर्व (दिनांक–28.01.1991) आवेदक द्वारा क्रय की गई भूमि एवं परियोजना पर ही प्राधिकरण द्वारा विचार किया जायेगा। वर्ष 1991 के उपरान्त क्रय की गयी भूमि प्राधिकरण द्वारा वर्तमान दरों पर क्रय की जाएगी। 2. प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा सभी चार परियोजना के भूमि स्वामित्व संबंधी प्रपत्रों का परीक्षण कर सुनिश्चित किया जाए कि सम्बन्धित संस्था प्रश्नगत भूखण्ड की मालिक प्राधिकरण स्थापना के पूर्व से है। 3. उक्त चारों परियोजना के संबंध में यह निर्देशित किया गया कि जिस भू–उपयोग के लिए परियोजना ने भूमि क्रय की थी वही भू–उपयोग आवेदक को अनुमन्य होगा। 4. आवेदक द्वारा 40 प्रतिशत भूमि अनुमन्य भू–उपयोग के अनुसार उपयोग में लाई जायेगी, जिसके भवन मानचित्र प्राधिकरण द्वारा प्रचलित भवन विनिमयावली के नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जायेगें। 40% भूमि के प्रोजेक्ट पर आवेदक द्वारा EDC वर्तमान दरों पर देय होगा। 5. आवेदक द्वारा 60 प्रतिशत भूमि निःशुल्क प्राधिकरण को हस्तगत की जायेगी। 6. प्रोजेक्ट प्रोपोनेन्ट को प्राधिकरण के नियमों के अनुसार सब डिविजन एवं ट्रांसफर का अधिकार होगा। पहला सब डिविजन एवं ट्रांसफर वगैर OC/CC प्राप्त किए तथा बिना शुल्क व ट्रांसफर चार्जेज के अनुमन्य होगा। Subsequent subdivision एवं ट्रांसफर पर नियमानुसार शुल्क एवं चार्जेज देय होंगे तथा प्राधिकरण के ट्रांसफर विषयक सभी नियम लागू होंगे। 7. समस्त आवेदकों द्वारा यह शपथ पत्र दिया जायेगा कि वह उपरोक्त शर्तो से सहमत है। 8. उक्त कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्तावित समाधान योजना क्रियान्वित करने के लिए प्रस्ताव शासन में प्रेषित किया जाएगा।
138/22	**लॉजिस्टिक हब हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति–2024” को अंगीकृत कर दर निर्धारण व ब्रोशर बनाये जाने के संबधं में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी व निर्देशित किया गया कि मल्टीमॉडल लाजिस्टिक पार्क हेतु दर निर्धारण व ब्रोशर तैयार करते हुए प्राधिकरण

	द्वारा योजना प्रकाशित की जाये व आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में एक समिति गठित करते हुए आवंटन संबंधी प्रक्रिया की जाये। चूँकि प्राधिकरणों में यह पहली इस श्रेणी की परियोजना है, अतः समिति में विशेषज्ञों को आवंटन/स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों के साथ–साथ रखा जाए।
138/23	**भारत सरकार की परियोजना Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment 2024-2025के अन्तर्गत प्रदेश श्रमजीवी महिला छात्रावास का निर्माण कराये जाने हेतु निःशुल्क भूमि रू0 01/– प्रतिवर्ष लीज रेंट पर भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
138/24	**संस्थागत योजना के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड संख्या–एच.एस.–40, सेक्टर–क्यू–01, मै0 गोल्डन गेट इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज प्रा0 लि0, को अतिरिक्त समयवृद्धि प्रदान किये जाने विषयक।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा विचार–विमर्श उपरान्त निर्देशित किया कि इकाई को भूखण्ड पर निर्माण करने हेतु 03 वर्ष का समय निःशुल्क दिया जाये तथा वास्तिविक क्षेत्रफल 13429 वर्गमी0 के अनुसार देयताओं का समायोजन किया जाये।
138/25	**ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में स्टाफ की अत्यन्त कमी के दृष्टिगत कार्यहित में सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित मानदेय पर रखे जाने के संबंध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
138/26	**ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की आवासीय भवनों की परियोजना BHS17 एवं BHS17/LOF-04 के अन्तर्गत आवंटित आवासीय रिक्त भवनों को पुलिस विभाग, न्याय पालिका, प्राधिकरण, जिला प्रशासन, औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगण को आवास सुविधा हेतु दिए जाने की नीति निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देश दिये गये कि रिक्त आवासों में सर्वप्रथम जेवर एयरपोर्ट में तैनात CISF कर्मियों से समन्वय स्थापित कर प्राथमिकता के आधार आवास दिये जाये तथा इसके पश्चात पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका, प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन दिये जायें।
138/27	**ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं, दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के अन्तर्गत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब (MMLH) व मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्ट हब (MMTH) के साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब–एप्रॉच ट्रैक (MMTH-A.T.) एवं मल्टी मॉडल ट्रान्सपोर्ट अस–साईडिंग ट्रैक(MMTH-S.T.) हेतु अन्तरित की जानी वाली भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
138/28	**ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की आवासीय भवनों की परियोजनाओं के अन्तर्गत आवंटित केवल Multi Storey Flats (Only for Less Than 121 Sq.mtr.) पर प्रीमियम किश्त मद एवं लीज डीड विलम्ब शुल्क पर ओ0टी0एस0 (एक मुश्त समाधान पॉलिसी) लाये जाने विषयक।**

NG Ravikumar.

निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर ओ0टी0एस0 (एक मुश्त समाधान पॉलिसी) योजना लाये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
138/29	**मै0 खेमका कन्टेनर लि0 को आवंटित भूखण्ड संख्या–11बी, उद्योग विहार सेक्टर–इकोटेक–2 क्षेत्रफल–16188 वर्गमी0 के प्रोडेक्शन इन्सेन्टिव, प्रीमियम, लीज रेंट (एक मुश्त) एवं लीज रेंट में 50 प्रतिशत की वृद्धि प्रभावी किये जाने एवं अतिदेय प्रमाण पत्र निर्गत कर क्रियाशील घोषित किये जाने के संबंध में।**
निर्णय	संचालक मण्डल द्वारा आवंटी के प्रत्यावेदन पर विचार–विमर्श उपरान्त इकाई को अरली प्रोडेक्शन इन्सेन्टिव अनुमन्य किये जाने योग्य नहीं पाई गई। अतः आवंटी की मांग को निरस्त किया गया।
138/30	**अतिरिक्त प्रतिकर (64.7 प्रतिशत) की रिकवरी सुनिश्चित किये जाने हेतु ओ0टी0एस0 योजना लाये जाने के सम्बन्ध में।**
निर्णय	मा0 संचालक मण्डल द्वारा विचार विमर्श के उपरान्त ओ0टी0एस0 योजना में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किया गया :– 1. ओ0टी0एस0 योजना सभी श्रेणी के आवंटियों के लिये लायी जाए। 2. ओ0टी0एस0 योजना 06 माह के लिये लायी जाए। 3. अतिरिक्त प्रतिकर हेतु प्राधिकरण के द्वारा जितनी धनराशि का वितरण किया गया है तथा ऋण प्राप्त करने में ब्याज के रूप में होने वाले व्यय तक ही रिकवरी सुनिश्चित की जाए। 4. पूर्व में 114वीं बोर्ड बैठक दिनांक 31.05.2019 में दरों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय पर सहमति जतायी गयी तथा निर्देशित किया गया कि अतिरिक्त प्रतिकर की रिकवरी दरों में परिवर्तन किये जाने का औचित्य नही है। 5. जो आवंटी निर्धारित समयावधि में ओ0टी0एस0 योजना का लाभ लेना चाहते है, उन पर पीनल एवं चक्रवृद्धि ब्याज से छूट प्रदान की जाए तथा दिनांक 01.05.2013 से दिनांक 30.06.2020 तक 11 प्रतिशत साधारण ब्याज एवं दिनांक 01.07.2020 से प्राधिकरण में समय–समय पर लागू साधारण ब्याज की दर से गणना की जाए। 6. जिन ग्रामों में जितने क्षेत्रफल पर अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण किया गया है, उन ग्रामों के ऊपर किसी भी योजना के पड़ने वाले सैक्टर के आवंटियों से ही अतिक्रित प्रतिकर की वसूली की जानी चाहिए। 7. वर्ष 2000 के बाद से वर्ष 2013–2014 तक अलग–अलग योजनाओं जैसे– आवासीय, बिल्डर्स, आई0टी0, संस्थागत, वाणिज्यिक, उद्योग, ग्रुप हाउसिंग, रिकिएशनल ग्रीन, स्पोर्टस सिटी इत्यादि में किये गये आवंटनों की सूची तैयार कराने तथा इनमें से किन आवंटियों को मांग पत्र प्रेषित किये गये है, की सूची तैयार करायी जाए। 8. जिन ग्रामों में अतिरिक्त प्रतिकर का वितरण किया गया है, उनके खसरे एवं क्षेत्रफल के अनुसार वितरित धनराशि की सूची तैयार करायी जाए।

N G Ravikumar.

	9. जिन ग्रामों के खसरे एवं क्षेत्रफल के ऊपर अतिरिक्त प्रतिकर वितरित किया गया है के ऊपर जो भी सैक्टर विकसित किये गये हैं तथा उन सैक्टर में जिस भी श्रेणी के विकसित भूखण्ड आवंटित किये गये हैं, उन पर ही प्रतिकर अधिरोपित किया जाए। 10. उपरोक्त समस्त सूचियों का संकलन करने के पश्चात जिन आंवटियों पर गलत मांग अधिरोपित हुआ है उन्हें हटाया जाए तथा जो आवंटी छूट गये हों उनको मांग पत्र प्रेषित किया जाए। मा0 संचालक मण्डल द्वारा उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु 15 दिनों का समय प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
138/31	**इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) विकसित किए जाने हेतु SPV (Special Purpose Vehicle) कम्पनी मैसर्स टेग्ना इलेट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर प्रदान की गई भूमि को सदस्य इकाईयों के पक्ष में सब–लीज किये जाने के सम्बन्ध में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण को देय हस्तान्तरण शुल्क माफ किये जाने के सम्बन्ध में।**
निर्णय	मा0 संचालक मण्डल द्वारा प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स के सुझाव एवं प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत विवरण का संज्ञान लिया गया एवं निर्देशित किया गयाकि उ0प्र0 इलैक्ट्रानिक मैन्युफैक्यरिंग नीति 2020 (संशोधित 2022) के अनुच्छेद 5.8.2 के सब क्लाज (iii) के कम में मेसर्स टेग्ना इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर प्रदान की गई भूमि को सदस्य/इकाईयों के पक्ष में सब–लीज किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा देय हस्तान्तरण शुल्क नही लिया जायेगा। यह भी निर्णय लिया गया कि जो सब–लीज हस्तान्तरण शुल्क लेकर पूर्व में की जा चुकी है इकाई द्वारा जमा कराया गया हस्तान्तरण शुल्क को रिफण्ड नहीं किया जायेगा।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

NG Ravikumar 16/04/2025

(रवि कुमार एन0जी0)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी/
सदस्य सचिव

अनुमोदित

Manoj 18.4.25

(मनोज कुमार सिंह)
अध्यक्ष

प्राधिकरण के 138वीं बोर्ड बैठक में मा0 बोर्ड सदस्यों की Video Conferencing के माध्यम से एवं भौतिक रूप से उपस्थिति

दिनांक–29.03.2025

कम संख्या	सदस्यों के नाम	अध्यक्ष / सदस्य / विशेष आमंत्री
1	श्री मनोज कुमार सिंह, आई0ए0एस0 मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त/ अध्यक्ष, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।	अध्यक्ष
2	श्री अतुल कुमार सिंह, अपर निदेशक, कोषागार, मेरठ मण्डल, मेरठ प्रतिनिधिः– अपर मुख्य सचिव (वित्त) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य (Video Conferencing) के माध्यम से
3	श्री अनुराग यादव, आई0ए0एस0 प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	विशेष आमंत्री (Video Conferencing) के माध्यम से
4	श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य (Video Conferencing) के माध्यम से
5	श्री शुभम सारस्वत, सहायक अभियन्ता, एवं अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 प्रतिनिधिः– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
6	श्री लोकेश एम0, आई0ए0एस0 मुख्य कार्यपालक अधिकारी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण सेक्टर–06, नौएडा।	सदस्य
7	श्री रवि कुमार एन0जी0, आई0ए0एस0 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण ।	सदस्य
8	श्री नागेन्द्र प्रताप, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रतिनिधिः– मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।	विशेष आमंत्री
9	श्री मनीष कुमार वर्मा, आई0ए0एस0 जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर।	सदस्य
10	श्री विवेक कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) गाजियाबाद। प्रतिनिधिः– जिलाधिकारी, गाजियाबाद।	सदस्य

11	संजय कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर। प्रतिनिधिः— जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।	सदस्य
12	श्री विश्वजीत सिंह, सहा0 वास्तुविद नियोजक एन0सी0आर0सेल0, उ0प्र0 प्रतिनिधिः— मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर नियोजन भवन टीसीजी/1—ए—वी 5, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ।	सदस्य

निम्नलिखित मा0 बोर्ड सदस्य/विशेष आमंत्री अनुपस्थित रहेः—

क्रम संख्या	सदस्यों के नाम	सदस्य/विशेष आमंत्री
13	श्री नितिन रमेश गोकर्ण, आई0ए0एस0 अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	सदस्य
14	श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	विशेष आमंत्री
15	श्री अतुल वत्स, आई0ए0एस0 उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	विशेष आमंत्री
16	श्री मयूर माहेश्वरी, आई0ए0एस0 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनपुर, कानपुर।	सदस्य
17	श्री अमृत अभिजात, आई0ए0एस0 प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
18	श्री के0 विजयेन्द्र पांडियन, आई0ए0एस0 आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (उत्तर प्रदेश) जी.टी. रोड, कानपुर।	विशेष आमंत्री